include only primary agricultural products processed and made marketable or consumable by farmers. The fruits and vegetables, deoiled cake and extraction, sugar and molasses and planting materials and seeds should be deleted on various grounds such as perishableness, export considersations or other being covered by separate laws such as Sugarcane Act and seeds Act.

(2) The role of the constituents of market committees i.e. farmers, traders, exporters, 'hamals' and the government vary in importance and necessity in different types of market committees. The operation and control of the various markets should be assigned accordingly to these constituents.

(3) There should be maximum limit on levy of market fees. If market fees has been paid for goods at one mandi, those should not be subjected to fresh levy at the other mandi.

(c) The Government of India has already set up a High Power Committee to review the present State Market Acts and working of various Agricultural Marketing Bodies and to recommend appropriate measures for streamlining and strengthening of the set up for marketing of Agricultural produce. The Committee is already going into the suggestions made by the Associated Chambers of Commerce and Industry.

High Powered Committee on Agriculture

\$4820. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:
SRHI KAMAL MORARKA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the High powered Committee on agricultural marketing has criticised the Union Government's decision to transfer the Central Sector schemes for development of markets in the States;

(b) whether the said committee has recommended to Government to review its decision in the interest of farmers of the country;

(c) if so, Government's reaction thereto; and

(d) whether Government propose to review its decision and if so, by when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) In their Interim Report, the High Power Committee on Agricultural Marketing has recommended that the decision of Government to transfer the Centrally Sponsored Scheme for Development of Markets to the States should be reviewed.

(c) and (d) As the decision to transfer this scheme to the State Sector has been taken by the National Development Council on the basis of a recommendation to that effect made by a Committee of the National Development Council, it is not proposed to review the above decision.

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

4821 डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : मैं श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन 90 जिलों में लगभग 615 प्रखंडों की पहचान की है ;

\$Previously Unstarred Question 3303, transferred from the 7th August, 1992.

!पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 3304, 7 अगस्त, 1992 से स्थानांतरित ।

(ख) क्या यह भी सच है कि इन क्षेत्रों में कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में अधिकतम 2.000 मि० मी० वर्षा होती है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उपज बहुत ही कम है ; यदि हां, तो उपज की औसत दर कितनी है ; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उपज की दर में वृद्धि करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) के अंतर्गत 13 राज्यों में 92 जिलों के 615 खण्डों की पहचान की है ।

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों को कवर किया जाता है तथा इन क्षेत्रों में कृषि वर्षा पोषित है तथा मुख्यतः मानसून पर निर्भर है ।

(ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने के प्रयोजन हेतु खण्डों की पहचान करने के लिये वर्षा तथा सिंचित क्षेत्र मूल पहलू माने जाते हैं । कार्यक्रम के अंतर्गत खण्डों की कवरेज का विद्यमान मानदण्ड निम्नलिखित है :—

वार्षिक वर्षा	वास्तविक बुआई क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता
(1) 750 मि०मी० से कम	20 प्रतिशत से कम
(2) 750–1125 मि०मी०	15 प्रतिशत से कम
(3) 1125 मि०मी० से अधिक लेकिन 1650 मि० मी० से कम ।	10 प्रतिशत से कम

(घ) और (ङ) सिंचित क्षेत्रों तुलना में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उ कम है । इन क्षेत्रों में उत्पादन की औसत र तथा पैदा की जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन लक्ष्य दर निम्न प्रकार है :—

सूखाग्रस्त क्षेत्रों (वर्षा सिंचित) में पैदा की जाने वाली प्रमुख फसलें	1991-92 में उत्पादन की औसत दर (कि०ग्रा० हैक्टेयर) **	आठवीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन की लक्षित दर (कि०ग्रा० हेक्टेयर) 1996–97
मोटा अनाज	800	1033
दालें	596	694
तिलहन	754	939
कपास*	241	317

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना को बढ़ावा दिया जाना

***4822. **श्री सुरेश पचौरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रस्ताव रखे गए हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और वे किस हद तक पूरे किए गए ;

(ग) किन-किन राज्यों ने ये लक्ष्य पूरे नहीं किए थे ; और

* प्रत्येक 170 किलोग्राम की मिलियन गांठों में ।

** संभावित उपलब्धि ।

*** पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 3583, 10 अगस्त, 1992 से स्थानांतरित ।